

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत - उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

दारा देवी वगैरे ना मुसलमान पारि माली

दारा देवी वगैरे ना मुसलमान पारि

नि. १५/१२/२०१५, २६० सीपीए

माली नि १५/१२/२०१५ २६०  
सीपीए माली

किस्म मुकदमा:- राजस्व वाद अन्तर्गत धारा... १३३, १२३, आर.टी.एक्ट. 1955 मु० न०..... १३४/२५

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुआ।
<p>20/10/21</p> <p>1/2/22</p> <p>12/11/22</p>	<p>अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।</p> <p>अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 133, 123, आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये समन/नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 01/11/22 को पेश हो।</p> <p>उप खण्ड अधिकारी, सोजत</p> <p>वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी को अन्य सार्वजनिक कार्यों में व्यस्त/गमन/अवकाश पर है। अतः पेशी दिनांक 01/11/22 को पेश हो।</p> <p>रीडर</p> <p>उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत</p> <p>12/11/22</p> <p>अधिवक्ता ग्राम वादीया तथा उत्तरेसी तबयं उपस्थित। अधिवक्ता ग्राम वादीया ने उत्तरेसी पर अन्तर्गत अधिसूचना 25 R1 CPC का पेश किया सा. मि. हो अधिवक्ता ग्राम वादीया ने जरिये उत्तरेसी पर निवेदन किया कि वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य लेह - सहायक की आपन से राजस्व वाद है सुझा है। वादीया वाद ग्राम चलाया नहीं गहरी है। वादीया वाद के फा. लॉ के अधिका के सुझा वर्योह हुकम की जरिये विज्ञापन वारिज किया जाय - गहरी है।</p> <p>अतः उत्तरेसी पर अधिसूचना किया जाय है। अधिवक्ता वादी का वाद जरिये विज्ञापन वारिज किया जाय है। उत्तरेसी के वाद सुझा है।</p>	<p>1221</p> <p>12/11/22</p> <p>दारा देवी</p> <p>11/11/22</p> <p>माली</p> <p>12/11/22</p>